रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936
No. 145] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2014

सं. टीएएमपी/45/2008–सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/45/2008–सीएचपीटी

कोरम:

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2014 के 4थें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करने से सम्बंधित है।

2. सीएचपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/45/2008–सीएचपीटी दिनांक 10 नवम्बर 2010, जिसे 11 जनवरी 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण सीएचपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता पिछली बार अपने आदेश दिनांक 10 जनवरी 2014 द्वारा 31 मार्च 2014 तक विस्तारित की थी।

3. सीएचपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 मई 2013 के साथ दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों से विचार–विमर्श किया गया था। हमारे पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2013 द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस मामले की संयुक्त सुनवाई 27 सितम्बर 2013 को आयोजित की गई थी। प्रत्युत्तर में, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 14 मार्च 2014 के कवर में मांगी गई अतिरिक्त सूचना के जवाब में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सीएचपीटी के संशोधित प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों से विचार–विमर्श किया गया है। उसके मद्देनजर, इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए मामला तैयार किए जाने में कुछ और समय लगेगा।

4. सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 31 मार्च 2014 को समाप्त हो चुकी है। पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में यथा उल्लिखित मामले की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए और विचार के लिए इस मामले को तैयार करने हेतु अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5. यदि 1 अप्रैल 2013 की अवधि के लिए स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष प्रकट दिखाई देता है तो, इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2014

No. TAMP/45/2008-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/45/2008-CHPT

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 4th day of April, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Chennai Port Trust (CHPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the CHPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/45/2008-CHPT dated 10 November 2010 which was notified in the Gazette of India on 11 January 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of CHPT on couple of occasions. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of CHPT till 31 March 2014 vide its Order dated 10 January 2014.

3. The proposal filed by the CHPT vide its letter dated 19 February 2013 along with its letter dated 29 May 2013 has been taken on consultation with the concerned users / user associations. The additional

information/clarification was sought on its proposal vide our letter dated 24 September 2013. Joint hearing on the case was held on 27 September 2013. In response, the CHPT undercover of its letter dated 14 March 2014 has submitted the revised proposal along with reply to additional information sought. The revised proposal of the CHPT has been taken on consultation with the concerned users / user associations. In view of that, it will take some time for the case to mature for final consideration of this Authority.

4. The extended validity of the existing SOR of CHPT expired on 31 March 2014. Considering the present status of the case as brought out in the preceding paragraphs and recognizing that the time required for this case to mature for consideration, this Authority extends the validity of the existing SOR till 30 June 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.